

राजस्थान सरकार

महालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर,
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प

आदेशः

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 के अनुसरण में ग्राम की जमाबन्दी सन्वत् 2076-79 में खाता संख्या 169 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	कसांडघा	169	कान्ता कुमारी पुत्री शिवशिर १९९८	कान्ता कुमारी पुत्री शिवशिर १९९८

(fha)
 सहायक कलेक्टर
 उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलेक्टर

दिनांक :- 16/10/2025

क्रमांक :- 25/368

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट निजवाये।
2. प्रार्थी श्री कान्ता कुमारी पुत्री शिवशिर को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(fha)
 सहायक कलेक्टर
 उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर,
 जिला-राजसमन्द